PLUTUS IAS
UPSC/ PCS

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

27/05/2024 से 02/06/2024 तक

THE HINDU

The Indian EXPRESS

पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

कार्यालय

बेसमेंट 8, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6,
नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास
दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutsias.com

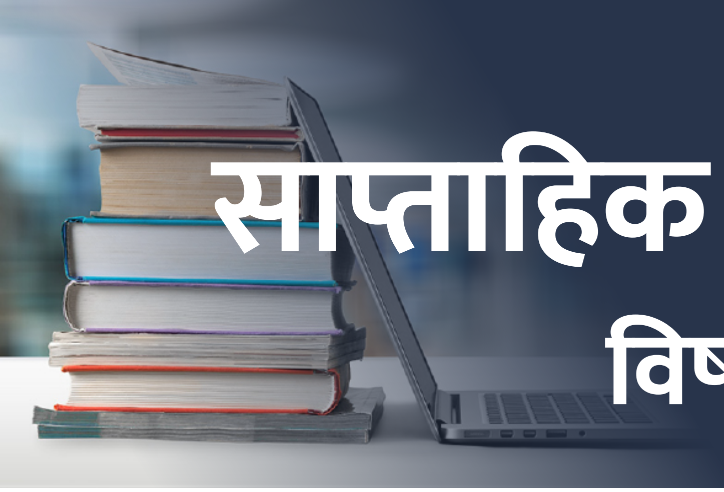

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

1. भारत में 46वीं ‘अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक‘ (ATCM 46) तथा ‘ पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक‘ (CEP 26) का आयोजन 1
2. अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध : चुनौतियाँ और समाधान........... 3
3. भारत की सुरक्षा के संदर्भ में भारत के सेना प्रमुख के कार्यकाल का विस्तार 7
4. भारत में उच्च शिक्षा का अति-राजनीतिकरण : भविष्य और चुनौतियाँ............ 10
5. निजता का मौलिक अधिकार बनाम भारत में डिजिटल बाज़ार 13
6. धर्म के आधार पर आरक्षण बनाम कोलकाता उच्च न्यायालय का आरक्षण को रद्द करने का फैसला............ 15

करंट अफेयर्स
मई जून 2024

भारत में 46वीं 'अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक ' (ATCM 46) तथा ' पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक ' (CEP 26) का आयोजन

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 के ' महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन ', द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक, पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं (CEP 26) बैठक ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत में 46वीं 'अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक ' (ATCM 46) तथा ' पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक ' (CEP 26) का आयोजन ' से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के केरल के कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक (ATCM 46) और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक (CEP 26) का 30-20 मई, 2024 के दौरान आयोजित की जा रही है।
- यह बैठक विश्व स्तर पर अंटार्कटिका में पर्यावरणीय प्रबंधन और वैज्ञानिक सहयोग पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।
- इस बैठक का आयोजन **भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** के अंतर्गत **गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR)** द्वारा किया जा रहा है।
- अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक को **' अंटार्कटिक संसद '** के रूप में भी जाना जाता है।

अंटार्कटिक संधि क्या है ?

अंटार्कटिक संधि, जिसे शीत युद्ध के चरम काल में 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन डी.सी. में 12 देशों ने हस्ताक्षरित किया था, यह एक महत्वपूर्ण संधि और एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो इस संधि के मूल हस्ताक्षरकर्ता देशों पर सन 1961 से ही प्रभावी या लागू है।

इस संधि के मूल हस्ताक्षरकर्ता देश निम्नलिखित हैं –

1. **अर्जेंटीना**
2. **ऑस्ट्रेलिया**
3. **बेल्जियम**
4. **चिली**
5. **फ्रांस**
6. **जापान**
7. **न्यूज़ीलैंड**
8. **नॉर्वे**
9. **दक्षिण अफ्रीका**
10. **यू.एस.एस.आर.**
11. **यूनाइटेड किंगडम**
12. **संयुक्त राज्य अमेरिका**

- इस संधि का उद्देश्य अंटार्कटिका महाद्वीप के शांतिपूर्ण उपयोग और वैज्ञानिक अन्वेषण को सुनिश्चित करना है।
- भारत ने 1983 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए और उसी वर्ष भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र 'दक्षिण गंगोत्री' की स्थापना की गई।
- वर्तमान में, इस संधि के 56 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत भी शामिल है, जो एक सलाहकार सदस्य के रूप में कार्य करता है।
- अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक (ATCM) का मुख्य उद्देश्य अंटार्कटिका

के संरक्षण, वैज्ञानिक अन्वेषण, और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए वैश्विक संवाद की सुविधा प्रदान करना है।

- भारत ने अंतिम बार 2007 में नई दिल्ली में ATCM की मेजबानी की थी।
- यह बैठक कानून, रसद, शासन, विज्ञान, पर्यटन, और दक्षिणी महाद्वीप के अन्य पहलुओं पर चर्चा करने का एक मंच प्रदान करती है।

अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक में भारत का मुख्य एजेंडा :

अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक में भारत का मुख्य एजेंडा निम्नलिखित है –

- **शांतिपूर्ण शासन की प्राथमिकता :** भारत अंटार्कटिका में शांतिपूर्ण शासन के महत्व को उजागर करेगा, यह बताते हुए कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों को महाद्वीप की सुरक्षा और संसाधनों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- **पर्यटन पर नियंत्रण :** एक नए कार्य समूह के माध्यम से, भारत अंटार्कटिका में पर्यटन को विनियमित करने की दिशा में कार्य करेगा, जिसमें नीदरलैंड, नॉर्वे और अन्य यूरोपीय देश भी शामिल होंगे।
- **नए अनुसंधान स्टेशन की स्थापना :** भारत द्वारा आयोजित अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक के कोच्चि बैठक में, भारत **'मैत्री II'** नामक नए अनुसंधान स्टेशन के निर्माण की योजना प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए ए.टी.सी.एम. की मंजूरी आवश्यक है।
- **संसाधनों का सतत प्रबंधन :** इस बैठक में अंटार्कटिका के संसाधनों के सतत प्रबंधन पर चर्चा होगी, जिसमें जैव विविधता पूर्वेक्षण, सूचना और डेटा का आदान-प्रदान, अनुसंधान, सहयोग और क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी शामिल किया गया हैं।

अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की प्रमुख विशेषताएँ :

अंटार्कटिक संधि ने अंटार्कटिका को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में स्थापित किया है जो वैश्विक भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से अलग और सबसे बहुत दूर है, जिसे **'नो मैन्स लैंड'** कहा जाता है। **इस संधि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं –**

- **शांतिपूर्ण उद्देश्य :** अंटार्कटिका का इस्तेमाल केवल शांतिपूर्ण गतिविधियों के लिए होगा, अंटार्कटिका महाद्वीप के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सैन्यीकरण या किलेबंदी की अनुमति नहीं होगी।
- **वैज्ञानिक स्वतंत्रता :** अंटार्कटिका महाद्वीप में अंटार्कटिक संधि से जुड़े सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों को वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रता होगी।
- **सहयोग और डेटा साझाकरण :** अंटार्कटिक संधि से जुड़े सभी हस्ताक्षरकर्ता सदस्य देशों को वैज्ञानिक कार्यक्रमों के लिए योजनाएं साझा करनी चाहिए और एकत्रित डेटा को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराना चाहिए।
- **परमाणु प्रतिबंध :** अंटार्कटिक संधि के तहत अंटार्कटिका महाद्वीप में किसी भी प्रकार के परमाणु परीक्षण या रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निपटान प्रतिबंधित है।
- **शासन का आधार :** अंटार्कटिक संधि के तहत अंटार्कटिका महाद्वीप में सभी शासन और गतिविधियों के लिए एक आधार प्रदान करती है, जो इस धरती पर पांचवां सबसे बड़ा महाद्वीप है।

ये विशेषताएं अंटार्कटिका को एक अनूठा और संरक्षित क्षेत्र बनाती हैं, जहां विज्ञान और शांति का प्रचार होता है।

अंटार्कटिका में भारत की उपस्थिति :

अंटार्कटिक संधि में भारत की स्थिति और भूमिका : भारत सन 1983 से अंटार्कटिक संधि के एक प्रमुख सदस्य के रूप में, इस महाद्वीप के प्रबंधन और संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में अपना मत देने का अधिकार रखता है।

इस संधि में शामिल 56 देशों में से 29 को सलाहकार दल का दर्जा प्राप्त है।

अंटार्कटिका महाद्वीप में भारतीय अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन :

- **दक्षिणी गंगोत्री :** भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन, जो 1983 में क्वीन मौड लैंड में स्थापित किया गया था और 1990 तक संचालित हुआ।
- **मैत्री :** सन 1989 में शिरमाचेर ओएसिस में स्थापित, यह स्टेशन अभी भी कार्यशील है और गर्मियों में 65 और सर्दियों में 25 लोगों को आवास प्रदान करता है।
- **भारती :** सन 2012 में प्रिड्ज़ खाड़ी तट पर स्थापित, यह स्टेशन समुद्र विज्ञान और भूवैज्ञानिक अध्ययन पर केंद्रित है और इसरो द्वारा भी उपयोग में लाया जाता है।
- **मैत्री II :** भारत अपने ही पुराने मैत्री स्टेशन के निकट एक नया स्टेशन, मैत्री II का निर्माण कर रहा है, जिसके 2029 तक संचालित होने की संभावना है।
- **अंटार्कटिक अधिनियम 2022 :** वर्ष 2022 में भारत ने अंटार्कटिक संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए अंटार्कटिक अधिनियम को अंगीकार किया, जिससे इस क्षेत्र में भारत की वैज्ञानिक और पर्यावरणीय भूमिका को और अधिक सुदृढ़ किया गया।

इस प्रकार, भारत अंटार्कटिका में अपनी वैज्ञानिक उपस्थिति और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को निरंतर मजबूत कर रहा है।

समाधान / भविष्य की राह :

अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक (ATCM) और पर्यावरण संरक्षण समिति (CEP) की बैठकों का भविष्य और आगे की राह निम्नलिखित है –

- भारत ने मई 2024 में 46वीं ATCM और 26वीं CEP की मेजबानी की, जो केरल के कोच्चि में आयोजित की गई थी1।
- इस बैठक में अंटार्कटिका के संरक्षण के प्रयासों में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाया गया और यह भारत के एक जिम्मेदार वैश्विक हितधारक के रूप में उभरने का प्रतीक है।
- इस बैठक के एजेंडे में अंटार्कटिका में अनियमित पर्यटन का विरोध और इसे नियंत्रित करने के लिए एक नियामक ढांचे की शुरुआत करने का प्रस्ताव शामिल था।
- अंटार्कटिका की अपनी कोई स्वदेशी आबादी नहीं है और इसकी अबाधित बर्फ और भौगोलिक अलगाव इसे पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थल बनाते हैं2। इसलिए, इस बैठक में पर्यटन को नियंत्रित करने और अंटार्कटिका की अनूठी जैव विविधता को संरक्षित करने के उपायों पर भी चर्चा की गई।
- भारत 1983 से अंटार्कटिक संधि का एक सलाहकार दल रहा है और इस बैठक की मेजबानी ने भारत की इस भूमिका को और भी मजबूत किया है।
- भारत और अंटार्कटिक संधि में शामिल अन्य देशों को भी भविष्य में अंटार्कटिका की शुद्धता और इसके रहस्यों को संरक्षित करने के लिए साझा प्रयास करने होंगे।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अंटार्कटिक संधि के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत सन 1983 से अंटार्कटिक संधि के एक प्रमुख सदस्य और एक सलाहकार पक्ष के रूप में, भारत के पास मतदान का अधिकार है और वह अंटार्कटिक शासन से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेता है।
2. अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिका महाद्वीप पर किसी भी प्रकार के सैन्य गतिविधियों और किलेबंदी पर प्रतिबंध लगाती है।
3. अंटार्कटिक संधि के तहत अंटार्कटिका के निर्दिष्ट क्षेत्रों में परमाणु परीक्षण और रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थों के निपटान की अनुमति है।
4. अंटार्कटिक संधि के तहत परामर्शदात्री दल वे राष्ट्र हैं जिनके पास अंटार्कटिक संधि प्रणाली के अंतर्गत पूर्ण मतदान अधिकार और निर्णय लेने की शक्तियां हैं।

उपर्युक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल एक

B. केवल दो

C. केवल तीन

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अंटार्कटिक संधि क्या है और उसके प्रमुख प्रावधानों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि बढ़ते वैश्विक भू-तापन के फलस्वरूप अंटार्कटिक महाद्वीप के ग्लेशियरों का पिघलना और आर्कटिक की बर्फ किस प्रकार पृथ्वी पर मौसम और जलवायु के स्वरूपों और मनुष्य की गतिविधियों पर अलग-अलग प्रकार से प्रभाव डालते हैं? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। (UPSC CSE – 2021 शब्द सीमा – 250 अंक -15)

अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध : चुनौतियाँ और समाधान

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के ‘ अंतर्राष्ट्रीय संबंध, महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और सहयोग, साइबर अपराध और उनके प्रभाव ’ और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 3 के ‘ आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और संगठित अपराध, काला धन, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी ’ खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, साइबर अपराध, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF), ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ’ खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ‘ दैनिक करेंट अफेयर्स ’ के अंतर्गत ‘ अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध : चुनौतियाँ और समाधान ’ से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले संगठित अपराध के संबंध में **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF), इंटरपोल** और **ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC)** के प्रमुखों ने अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से उत्पन्न होने वाले विशाल अवैध मुनाफे के खिलाफ लड़ाई को तेज करने की जरूरत पर बल दिया है।
- हाल ही में जारी **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)** के एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय नागरिकों पर भी साइबर अपराध का खतरा बढ़ रहा है, जिससे इस विषय पर वर्तमान समय में चर्चा की अत्यंत आवश्यकता और जन जागरूकता की मांग भी बढ़ गई है।

- संगठित अपराध की गतिविधियां जैसे कि **ड्रग तस्करी**, **मानव तस्करी**, **मनी लॉन्डरिंग**, **आतंकवाद** और **हथियारों का अवैध व्यापार** वैश्विक अर्थव्यवस्था से प्रत्येक वर्ष कई अरब डॉलर की निकासी करती हैं। वैश्विक स्तर पर इन गतिविधियों का न केवल आर्थिक प्रणाली पर बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है।
- भारत की भौगोलिक स्थिति **'गोल्डन ट्रायंगल'** और **'गोल्डन क्रेसन्ट'** के मध्य होने के कारण, नारकोटिक ड्रग्स के लिए एक पारगमन बिंदु के रूप में काम करती है, जिससे ड्रग दुर्व्यसन और ड्रग तस्करी की समस्या और भी बढ़ जाती है।

अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध क्या होता है ?

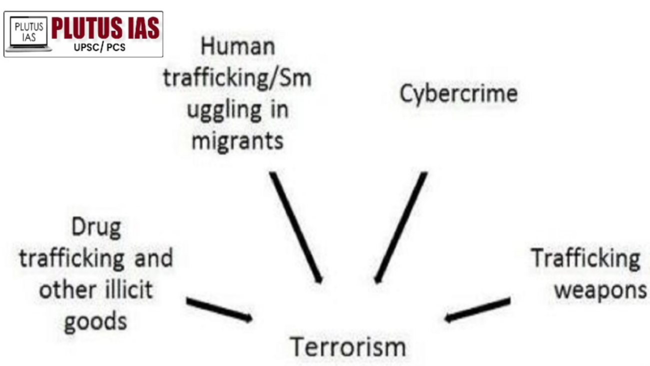

- अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध को उन अवैध क्रियाकलापों के रूप में समझा जा सकता है जो विभिन्न देशों में सक्रिय समूहों या नेटवर्कों द्वारा संचालित होते हैं। इनमें आमतौर पर आर्थिक या भौतिक लाभ के लिए हिंसा, भ्रष्टाचार या संबंधित कार्य शामिल होते हैं। इसके विभिन्न रूप हैं। जो निम्नलिखित है –
- **धन शोधन (मनी लॉन्डरिंग) :** यह अवैध रूप से अर्जित धन को छिपाने या उसके स्रोत को बदलने की प्रक्रिया है ताकि वह वैध धन प्रतीत हो। अपराधी इसे कानूनी व्यवसायों में निवेश करके वैध बना देते हैं।
- **नशीले पदार्थों की तस्करी :** इसके अंतर्गत वैश्विक स्तर पर नशीले पदार्थों की तस्करी होता है और यह वैश्विक स्तर पर अपराधियों के लिए एक लाभकारी व्यवसाय है।
- **मानव तस्करी :** इसमें वैश्विक स्तर पर लोगों का उपयोग यौन शोषण या श्रम-आधारित शोषण के लिए किया जाता है।
- **प्रवासियों की तस्करी :** यह लोगों को अवैध रूप से एक देश से दूसरे देश में ले जाने का व्यवसाय से संबंधित होता है, जिसमें लोगों को अवैध रूप से एक देश से दूसरे देश में ले जाने का व्यवसाय होता है।
- **अवैध आग्नेयास्त्रों की तस्करी :** इसमें अवैध आग्नेयास्त्रों की तस्करी, हथियारों और गोला-बारूद का अवैध व्यापार शामिल है।
- **प्राकृतिक संसाधनों की तस्करी :** इसमें खनिज, ईंधन, वन्यजीवन और अन्य नवीकरणीय संसाधनों का व्यापार शामिल है।
- **नकली दवाएँ :** इसमें अवैध रूप से नकली या अनधिकृत दवाओं की बिक्री शामिल होता है।
- **साइबर अपराध और पहचान की चोरी :** इसमें निजी डेटा चुराना और धोखाधड़ी से वित्तीय लेनदेन करना शामिल है।
- इस तरह की तमाम आपराधिक गतिविधियाँ विश्व भर में विभिन्न देशों की सीमाओं को पार करती हैं और इस तरह के अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध अक्सर बड़े पैमाने पर विभिन्न देशों पर आर्थिक और सामाजिक रूप से अपना प्रभाव डालती हैं।

भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने वाले साइबर अपराध :

- **इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C)** द्वारा दर्ज की गई जानकारी के अनुसार, प्रतिदिन औसतन लगभग **7,000 साइबर-संबंधी शिकायतें** दर्ज की जाती हैं।
- यह आंकड़ा भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने वाले साइबर अपराधों में होने वाली उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।
- विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों में **डिजिटल गिरफ्तारी**, **व्यापारिक घोटाले**, **निवेश घोटाले** और **डेटिंग घोटाले** शामिल हैं, जो साइबर अपराधियों की विविध रणनीतियों को उजागर करते हैं।
- इन घोटालों में भारतीय नागरिकों से **रुपये 500 करोड़** से अधिक की धोखाधड़ी की गई है।
- **इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा जारी रिपोर्ट में** यह भी पाया गया है कि भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने वाले लगभग **%45 साइबर अपराधों की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशियाई देशों** विशेषकर **कंबोडिया, म्याँमार और लाओस** जैसे देशों से होती है।
- इन अपराधों में मंडारिन भाषा में लिखे गए वेब एप्लिकेशनों का उपयोग होने के कारण इसका **चीन से संबंध** होने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है।
- साइबर अपराधियों द्वारा भारतीयों को फंसाने के लिए **सोशल मीडिया** का उपयोग करके फर्जी रोजगार के अवसर प्रदान करने, और फिर उन्हें विभिन्न साइबर घोटालों में शामिल करने की रणनीति अपनाई जाती है।

- इस प्रकार के घोटालों में **निवेश घोटाले**, **पिग बचरिंग घोटाले**, **ट्रेडिंग एप्प घोटाले** और **डेटिंग घोटाले** शामिल हैं, जिनमें भारतीय सिम कार्डों का उपयोग करके संवाद किया जाता है।
- इस तरह के साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूकता और सुरक्षा उपायों को बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले संगठित अपराधों का प्रभाव :

- अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध का प्रभाव व्यापक और गंभीर होता है। यह न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित करता है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचाता है। नकली दवाएँ, धन शोधन, अवैध वित्तीय प्रवाह, वनोन्मूलन, और अवैध हथियारों का व्यापार इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं।
- ये गतिविधियाँ न केवल आर्थिक विकास को बाधित करती हैं, बल्कि मानवाधिकारों का उल्लंघन और सामाजिक अस्थिरता भी पैदा करती हैं।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इस संगठित अपराध समूहों द्वारा अपने अवैध लाभों को वैध अर्थव्यवस्था में निवेश करके और स्थानीय अपराधियों के साथ मिलकर काम करके अपनी पहुँच के साथ – ही – साथ अपने प्रभाव को बढ़ाते हैं।
- इससे विभिन्न देशों में आंतरिक सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था पर बोझ बढ़ता है और इस तरह के संगठित अपराध समूहों द्वारा मानवाधिकार मानकों को भी कमजोर और उसका हनन किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के अवैध लाभ को लक्षित करने का महत्व :

- **सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति :** अवैध लाभ को लक्षित करने से आपराधिक गतिविधियों को कम किया जा सकता है, जिससे वित्तीय स्थिरता, समावेशी आर्थिक विकास, और मजबूत संस्थानों के साथ-साथ 2030 के सतत् विकास एजेंडा के लक्ष्यों को साकार करने में मदद मिलती है।
- **आपराधिक गतिविधियों का नियंत्रण :** अवैध लाभ को लक्षित करने से अपराधियों के लिए अपने कार्यों को वित्तपोषित करना और उनके नेटवर्क को बनाए रखना कठिन हो जाता है।
- **अन्य अवैध गतिविधियों पर अंकुश :** अवैध लाभ अक्सर अन्य अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। इन फंडों को कम करने से भविष्य में अपराधों को रोकने में मदद मिलती है।
- **विधि के शासन को बढ़ावा मिलना :** अवैध रूप से अर्जित लाभ को जब्त करने से विधि के शासन को बढ़ावा मिलता है और यह संदेश जाता है कि अपराध से लाभ नहीं होता।
- **विकास लक्ष्यों को सहायता :** अवैध धन को वैध उद्देश्यों के लिए पुनर्निर्देशित करने से आर्थिक विकास और विकासात्मक पहलों को समर्थन मिलता है।
- **वैश्विक सुरक्षा में वृद्धि :** धन शोधन और आतंकवाद का वित्तपोषण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जोखिम उत्पन्न करता है। अवैध लाभ को लक्षित करने से इन जोखिमों का मुकाबला करने में मदद मिलती है।
- **सुभेद्य जनसंख्या की सुरक्षा :** अवैध लाभ से वित्तपोषित आपराधिक गतिविधियाँ अक्सर सबसे कमजोर वर्गों का शोषण करती हैं। इन मुनाफों को लक्षित करके, हम इनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना :** यह अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराधों और आतंकवाद के वित्तपोषण को समाप्त करने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ाता है।

अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध को नियंत्रित करने की राह में प्रमुख चुनौतियाँ :

अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध (TOC) को नियंत्रित करने में निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं –

- **विविध कानूनी प्रणालियाँ :** विभिन्न देशों के कानूनी ढांचे में अंतर TOC से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को जटिल बनाते हैं।
- **सर्वसम्मति का अभाव :** विभिन्न राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं के कारण TOC के खिलाफ रणनीतियों पर वैश्विक सहमति बनाना कठिन है।
- **UNTOC का कार्यान्वयन :** अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UN Convention Against Transnational Organized Crime – UNTOC) मुख्य कानूनी उपकरण है, परंतु इसका कार्यान्वयन और आपस में सहयोग अप्रभावी है।
- **सुसंगत रणनीति का अभाव :** UNODC और अन्य निकायों में एक सुसंगत रणनीति की कमी है, जो विभाजित दृष्टिकोण को अपनाते हैं।
- **शक्तिशाली राज्यों के एकपक्षीय समाधान :** शक्तिशाली राज्य अक्सर अनौपचारिक और एकपक्षीय समाधान की आशा रखते हैं, जिससे विधि के शासन और मानवाधिकारों के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- **भ्रष्टाचार का होना :** अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध में भ्रष्टाचार शामिल होता है, जो वैश्विक स्तर पर कानून प्रवर्तन और शासन संरचनाओं को कमजोर करता है।
- **तकनीकी प्रगति :** अपराधी अवैध गतिविधियों के लिए प्रौद्योगिकी का

दोहन करते हैं और कानून प्रवर्तन से आगे रहते हैं।

- **अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध :** आतंकवादी गतिविधियों को अक्सर आपराधिक कमाई से वित्तपोषित किया जाता है, जो वैश्विक स्तर पर वैश्विक मानव समुदायों के लिए एक बड़ा खतरा है और यह संघर्ष के क्षेत्रों में हिंसा और अस्थिरता को बढ़ावा देता है, जिससे इसे नियंत्रित करने के प्रयास अत्यंत कठिन और जटिल होते हैं।

भारत में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध की कानूनी स्थिति :

- **भारत में संगठित अपराध का इतिहास और वर्तमान स्थिति :** भारत में संगठित अपराध की जड़ें गहरी हैं, और यह देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में गहराई से बसा हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति ने, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक तत्वों के साथ मिलकर, इसे और भी व्यापक बना दिया है।
- **भारत में कानूनी ढांचा :** भारत में संगठित अपराध से निपटने के लिए विशेष कानूनों की कमी है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 और नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 जैसे मौजूदा कानून व्यक्तिगत अपराधियों पर केंद्रित हैं, न कि आपराधिक संगठनों पर केंद्रित है।
- **भारत में राज्य – स्तरीय पहल :** भारत में गुजरात, कर्नाटक, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने संगठित अपराध से मुकाबला करने के लिए अपने कानून बनाए हैं। जो अभी भी भारत में संगठित अपराध को रोकने और इससे निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता :** भारत ने विश्व स्तर पर संगठित अपराध को रोकने और समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स और अपराध कार्यालय (UNODC), संयुक्त राष्ट्र के भ्रष्टाचार के खिलाफ सम्मेलन (UNCAC), और संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ सम्मेलन (UNTOC) जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का हस्ताक्षरकर्ता है। ये संधियाँ वैश्विक स्तर पर संगठित अपराध के खिलाफ सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देती हैं।

अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ समाधान की राह :

अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध समाधान की दिशा में वैश्विक स्तर पर निम्नलिखित निवारक उपाय किए जा सकते हैं –

- **डार्क वेब घुसपैठ :** डार्क वेब की गहराइयों में नेविगेट करने और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध द्वारा संचालित ऑनलाइन बाजारों में घुसपैठ करके महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी इकट्ठा करने हेतु विशेषज्ञ इकाइयों का विकास आवश्यक है।
- **ब्लॉकचेन फोरेंसिक्स :** अवैध क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन की निगरानी के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग अनिवार्य है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के लिए मुख्य आय स्रोत बन चुका है।
- **सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पारदर्शिता पहलों का समर्थन और प्रचार करना :** सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के साथ सांठगांठ के अवसरों को कम करने के लिए पारदर्शिता पहलों का समर्थन और प्रचार करना चाहिए।
- **नागरिकों का सशक्तिकरण :** नागरिकों को भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग के लिए सुरक्षित चैनलों के माध्यम से सशक्त बनाना चाहिए।
- **उन्नत अनुरेखण तकनीकों का प्रयोग :** इसके तहत वैश्विक स्तर पर धन शोधन नेटवर्क की पहचान और उनके उन्मूलन के लिए उन्नत अनुरेखण तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए।
- **विकासात्मक दृष्टिकोण को अपनाना :** इसके तहत वैश्विक स्तर पर आपराधिक न्याय प्रतिक्रियाओं से परे, विकासात्मक, मानवाधिकार और सुरक्षा निहितार्थों को संबोधित करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए रणनीतियों को एकीकृत करना :** इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध से निपटने के लिए संघर्ष की रोकथाम, शांति संचालन और शांति निर्माण प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए रणनीतियों को एकीकृत करना चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राजनीतिक इच्छाशक्ति का निर्माण करना :** यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और भ्रष्टाचार वैश्विक सार्वजनिक प्रणालियों को कमजोर करते हैं, और इसके विरुद्ध लड़ने के लिए बहुपक्षीय साधनों के माध्यम से प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की राजनीतिक इच्छाशक्ति का निर्माण करना चाहिए।
- **वास्तविक समय संलयन केंद्र:** इसके तहत वैश्विक स्तर पर डेटा के त्वरित विश्लेषण, आपराधिक रुझानों की पहचान और संगठित अपराध पर समन्वित प्रतिक्रियाओं के लिए कानून प्रवर्तन, खुफिया एजेंसियों और निजी क्षेत्र के भागीदारों के बीच तत्काल सहयोग की सुविधा के लिए वास्तविक समय संलयन केंद्र का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है।
- इस प्रकार, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ वैश्विक सहयोग और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके और विश्व भर में शांति और स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके।

स्रोत – द हिंदू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अवैध संगठित अपराधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। (UPSC – 2019)

1. संयुक्त राष्ट्र के भ्रष्टाचार के खिलाफ सम्मेलन (UNCAC) अब तक का सबसे पहला सार्वभौम भ्रष्टाचार-निरोधी बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का एक प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता है।
2. अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNTOC) की एक विशिष्टता ऐसे एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है, जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है, जिनसे वे अवैध तरीके से ले ली गई थीं।
3. भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन [यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन (UNCAC)] का भूमि, समुद्र और वायुमार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल' होता है।
4. अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों के खिलाफ मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा UNCAC और UNTOC दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिदेशित है।

उपर्युक्त कथन / कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. केवल 2 और 4

D. केवल 1 और 4

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अवैध संगठित अपराधों के संबंध में यह चर्चा कीजिए कि भारत की भौगोलिक स्थिति संसार के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उगाने वाले राज्यों से निकटता ने भारत की आंतरिक सुरक्षा चिताओं क्यों बढ़ा दिया है? अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अवैध गतिविधियों के बीच की कड़ियों को स्पष्ट करते हुए यह भी चर्चा कीजिए कि इन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए भारत द्वारा क्या-क्या प्रतिरोधी उपाय किए जा सकते हैं? (UPSC CSE – 2018, 2020 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत की सुरक्षा के संदर्भ में भारत के सेना प्रमुख के कार्यकाल का विस्तार

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 3 के ' भारत की आंतरिक सुरक्षा, भारत में CDS के पद की भूमिका, भारत में विभिन्न सुरक्षा बल और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबंधन ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' रक्षा बलों के बीच एकीकरण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कारगिल युद्ध,1999, कारगिल समीक्षा समिति, सैन्य मामलों का विभाग, गलवान घाटी संघर्ष, नियंत्रण रेखा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, राफेल लड़ाकू जेट ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत की सुरक्षा के संदर्भ में भारत के सेना प्रमुख के कार्यकाल का विस्तार ' से संबंधित है।

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of Cabinet-ACC) ने वर्तमान सेनाध्यक्ष (Chief of the Army Staff- CoAS) जनरल मनोज पांडे को एक माह का सेवा विस्तार प्रदान किया है।
- यह विस्तार 31 मई 2024 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे,30 जून 2024 तक के लिए है।
- जनरल पांडे को CoAS के रूप में 30 अप्रैल 2022 को नियुक्त किया गया था और वे दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स (The Bombay Sappers) में कमीशन प्राप्त कर चुके हैं।
- वे CoAS बनने से पहले आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ के पद पर थे।
- CoAS के रूप में उनका कार्यकाल तीन साल के बाद या 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर समाप्त होता है, जो भी पहले हो।
- भारतीय सेना के लिए इस विस्तार का अर्थ है कि अगले सेना प्रमुख का चयन अगली सरकार के लिए खुला रहेगा।

भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है ?

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होता है। यह पद तीनों सेनाओं के प्रमुखों से ऊपर होता है और CDS रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करता है। इसके साथ – ही – साथ वह भारत के राष्ट्रपति के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। इस पद की स्थापना करगिल युद्ध के बाद की गई थी और इसका उद्देश्य सेना के तीनों अंगों के बीच बेहतर समन्वय और एकीकरण को बढ़ाना है।
- इस पद की स्थापना 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा के बाद की गई थी, और दिसंबर 2019 में जनरल बिपिन रावत को भारत का पहला CDS नियुक्त किया गया था। इस पद पर बने रहने के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 साल है।

भारत में CDS का प्रमुख कार्य :

भारत में CDS का प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं –

1. प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री के लिए महत्वपूर्ण रक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करना।
2. तीनों सेनाओं के मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करना।
3. परमाणु मुद्दों पर प्रधानमंत्री के सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करना।
4. सेना के तीनों अंगों के बीच दीर्घकालिक नियोजन, प्रशिक्षण, खरीद और परिवहन के कार्यों के लिए समन्वयक का कार्य करना।
5. परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करना।
6. रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करना।
7. चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करना।
8. सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख के रूप में भी कार्य करना।

भारतीय सेना में CDS की नियुक्ति के लिए दिए जानेवाला तर्क :

- **भारत सरकार ने CDS की नियुक्ति के पीछे निम्नलिखित तर्क दिए हैं, जो भारतीय सशस्त्र बलों के बीच बेहतर समन्वय और एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।**
  - **संयुक्त कौशल को बढ़ावा देना और संसाधन अनुकूलन की कमी को दूर करना :** भारत में CDS का कार्य थल सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच एकीकृत योजना और संसाधन अनुकूलन की कमी को दूर करना है , जो भारत की समग्र युद्ध प्रभावशीलता को प्रभावित कर रही थी।
  - **एकल सैन्य सलाहकार की स्थापना करना :** भारत के रक्षा क्षेत्र में एक सशक्त, एकल-बिंदु सैन्य सलाहकार के रूप में CDS की परिकल्पना की गई, जो नागरिक-सैन्य अंतराल को दूर कर सुसंगत रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
  - **एकीकृत परिचालन तालमेल को बढ़ाना :** भारत में CDS को एकीकृत थियेटर कमांड की ओर संक्रमण का नेतृत्व करने और संचालन के दौरान सेवाओं के बीच अधिक तालमेल एवं अंतर-संचालन को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है।
  - **रक्षा व्यय आवंटन को युक्तिसंगत बनाना :** भारतीय सेना के CDS से रक्षा व्यय को युक्तिसंगत बनाने और सेवाओं में संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है।
  - **सेना के लिए दीर्घकालिक रक्षा योजना और सामरिक बल प्रबंधन करना :** भारत में CDS को दीर्घकालिक रक्षा योजना बनाना, बल संरचना और क्षमता विकास की देखरेख करने और उभरते सुरक्षा खतरों के साथ सैन्य तैयारियों को संरेखित करने का दायित्व सौंपा गया है।

भारत में 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' (CDS) के पद को सृजन करने का तात्कालिक कारण :

भारत में 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' (CDS) के पद के सृजन की समय रेखा निम्नलिखित है:

- 1999: कारगिल युद्ध के बाद, के. सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में कारगिल समीक्षा समिति ने रक्षा मामलों में सुधार के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे की समीक्षा की सिफारिश की।
- 2001: कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट के आधार पर, मंत्रियों के एक समूह (GoM) ने CDS के पद के सृजन की अनुशंसा की।
- 2019-2001: इस अवधि में, विभिन्न सरकारों ने CDS के पद के सृजन को लागू नहीं किया, जिसके पीछे राजनीतिक इच्छाशक्ति और आम सहमति की कमी थी।
- 24 :2019 दिसंबर को, सुरक्षा संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति ने CDS के पद के सृजन का ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य रक्षा मामलों में बेहतर और अधिक सूचित निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञता विकसित करना था।
- 31 दिसंबर 2019: जनरल बिपिन रावत को भारत का पहला CDS नियुक्त किया गया।
- 28 सितंबर 2022: लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) को भारत के नए CDS के रूप में नियुक्त किया गया।

- इसके अलावा, भारत में सैन्य कार्य विभाग का गठन भी किया गया, जो भारत में सैन्य-संबंधी सभी मामलों का प्रबंधन करता है, जबकि भारत का रक्षा विभाग राष्ट्रीय रक्षा नीति पर केंद्रित है।

भारत के समक्ष उभरती रक्षा चुनौतियाँ :

भारत के समक्ष उभरती रक्षा चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं, उन रक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक अधिक एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है –

1. **एक प्रभावशील सैन्यबल का आधुनिकीकरण और उसके क्षमता में विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता :** भारत में रक्षा के क्षेत्र में एक प्रभावशील सैन्यबल आधुनिकीकरण और उसके क्षमता के विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जहाँ भारत की तीनों सेनाओं की सेवाओं की आवश्यकताओं पर विचार किया जाए और अंतर-संचालनशीलता सुनिश्चित किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है।
2. **क्षेत्रीय विवादों के कारण दो मोर्चों पर खतरे का परिदृश्य :** भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर जारी तनाव और अनसुलझे क्षेत्रीय विवादों के कारण दो मोर्चों पर संघर्ष की संभावना का सामना करना पड़ रहा है।
3. **सीमापार आतंकवाद और हाइब्रिड युद्ध की चुनौती :** भारत के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए हाइब्रिड युद्ध की चुनौती, जिसमें सीमापार आतंकवाद सहित परंपरागत और अपरंपरागत साधन शामिल हैं, के लिए एक व्यापक और बहुआयामी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।
4. **अंतरिक्ष सुरक्षा और अंतरिक्ष-प्रतिरोधी क्षमताएँ :** अंतरिक्ष-आधारित परिसंपत्तियों पर भारत की बढ़ती निर्भरता के साथ, अंतरिक्ष सुरक्षा सुनिश्चित करना और अंतरिक्ष-प्रतिरोधी क्षमताओं का विकास करना महत्त्वपूर्ण हो गया है।
5. **समुद्री सुरक्षा और खुले समुद्र में उपस्थिति की महत्त्वाकांक्षा :** भारत को नौसेना, तटरक्षक बल और अन्य एजेंसियों को शामिल करते हुए एक सुदृढ़ और एकीकृत समुद्री रणनीति बनाने की अत्यंत आवश्यकता है।
6. **आर्कटिक और अंटार्कटिक परिचालन :** वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक एवं अंटार्कटिक क्षेत्रों में नए अवसर और चुनौतियाँ सामने आई हैं, जिसके लिए संयुक्त रक्षा क्षमताओं का विकास आवश्यक है।
7. **रक्षा नीतियों और रणनीतियों में एकीकरण और समन्वय को बढ़ाना :** इस तरह के तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए, भारत को अपनी रक्षा नीतियों और रणनीतियों में एकीकरण और समन्वय को बढ़ाना होगा, जिससे वह इन बढ़ती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके।

भारतीय सशस्त्र बलों के उन्नत एकीकरण के लिए आगे की राह / समाधान :

1. **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेना प्रमुखों के बीच की भूमिकाओं का स्पष्ट वितरण :** चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और तीनों सेना प्रमुखों के बीच की भूमिकाओं का स्पष्ट वितरण अत्यंत आवश्यक है, जिससे कमान और नियंत्रण – प्रणाली की चैनलों में सुधार हो सके।
2. **वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पदों का सृजन और उनकी भूमिकाओं का स्पष्ट निर्धारण :** वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पदों का सृजन CDS की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा और उन्नत एकीकरण की दिशा में मदद करेगा।
3. **एकीकृत थियेटर कमांड के विकास को प्राथमिकता देना :** भारत में तीनों सेनाओं और भारतीय सशस्त्र बलों के संयुक्त कौशल और संसाधनों के अनुकूलन के लिए एकीकृत थियेटर कमांड का विकास प्राथमिकता होनी चाहिए।
4. **एकीकृत अंतर – सेवा संगठन अधिनियम :** भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित अंतर-सेवा संगठन अधिनियम एकीकृत थियेटर कमांड के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
5. **विभिन्न सेवाओं के बीच कार्मिकों का क्रॉस-सर्विस रोटेशनल असाइनमेंट :** भारत में रक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न सेवाओं के बीच कार्मिकों का रोटेशन उन्हें विभिन्न परिचालन वातावरणों से परिचित कराएगा और उनमें आपसी सहयोग को बढ़ावा देगा।
6. **भारत में OSINT फ्यूजन सेंटर की स्थापना करना :** भारत के रक्षा क्षेत्र में OSINT फ्यूजन सेंटर की स्थापना से विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का संग्रहण और विश्लेषण संभव होगा।
7. **सुरक्षित संचार नेटवर्क का विकास और क्वांटम-सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क का विकास करना :** क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और QKD प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए एक सुरक्षित संचार नेटवर्क का विकास भारत में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस तरह के तमाम उपचारात्मक उपाय भारतीय सशस्त्र बलों के उन्नत एकीकरण के लिए एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित राह प्रदान करते हैं।

स्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और उससे संबंधित विभाग है ? (UPSC – 2018, 2021)

A. रक्षा मंत्रालय।

B. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और पर्यावरण और वन मंत्रालय।

C. सीमा सुरक्षा बल विभाग और सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग

मंत्रालय।

D. गृह मंत्रालय।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत के समक्ष उभरती बहुआयामी रक्षा चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत को इन बहुआयामी रक्षा चुनौतियों और संकटों का मुकाबला करने के लिए किस प्रकार के समाधानात्मक उपायों / कदमों को अपनाने की जरूरत है? (UPSC CSE – 2021 शब्द सीमा – 250 अंक 15)

Q.2. आंतरिक सुरक्षा खतरों तथा नियंत्रण रेखा (LoC) सहित म्याँमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमाओं पर सीमा पार अपराधों का विश्लेषण करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत के विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इनसे निपटने के लिए किस प्रकार की रणनीतियां अपने गई थी? (UPSC CSE – 2020 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत में उच्च शिक्षा का अति-राजनीतिकरण : भविष्य और चुनौतियाँ

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के ‘ भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, शिक्षा, भारतीय उच्च शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप, शैक्षणिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता, विकास से संबंधित मुद्दे ’ खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ भारतीय उच्च शिक्षा, कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ’ खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ‘ दैनिक करंट अफेयर्स ’ के अंतर्गत ‘ भारत में उच्च शिक्षा का अति-राजनीतिकरण : भविष्य और चुनौतियाँ ’ से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों?

- भारतीय उच्च शिक्षा के अत्यधिक राजनीतिकरण की चर्चा आज कल ख़बरों में इसलिए है क्योंकि यह शैक्षिक जीवन और संस्थानों की स्वायत्तता पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। इसकी जड़ें भारतीय शिक्षा के इतिहास में गहराई से जुड़ा हुआ या समाहित हैं और हालिया वर्षों में इसकी तीव्रता में वृद्धि हुई है।
- वर्तमान समय में भारत में अकादमिक स्वतंत्रता और बौद्धिक विमर्श में बाधाएं आ रही हैं, जिसके कारण भारत में शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों की मांग भी एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर कर सामने आई है।

भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति :

- भारत में, **उच्च शिक्षा** का अर्थ है 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद प्राप्त की जाने वाली तृतीयक स्तर की शिक्षा। यहाँ, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली है, जिसमें **58,000 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थान** शामिल हैं।
- वर्तमान में, भारत में **43.3 मिलियन छात्र** उच्च शिक्षा के लिए नामांकित हैं। इनमें से लगभग **%79 छात्र स्नातक पाठ्यक्रमों** में, **%12 छात्र स्नातकोत्तर (मास्टर डिग्री) पाठ्यक्रमों** में, और केवल **%0.5 छात्र PhD पाठ्यक्रमों** में नामांकित हैं। शेष अधिकांश छात्र उप-डिग्री (Sub-Degree) डिप्लोमा कार्यक्रमों में अध्ययनरत हैं।
- स्नातक स्तर पर, **कला (%34)** सबसे लोकप्रिय विषय क्षेत्र है, इसके बाद **विज्ञान (%15)**, **वाणिज्य (%13)**, और **इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (%12)** हैं। स्नातकोत्तर स्तर पर, **सामाजिक विज्ञान (%21)** शीर्ष विषय क्षेत्र है, उसके बाद **विज्ञान (%15)** और **प्रबंधन (%14)** हैं। PhD स्तर पर, **इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी (%25)** में सबसे अधिक छात्र नामांकित हैं, उसके बाद **विज्ञान (%21)** का स्थान आता है।
- **उच्च शिक्षा भागीदारी दर (GER)** बढ़कर **%28.4** हो गई है, जो पिछले वर्ष 21-2020 से **%1.1 अधिक** है। उच्चतम GER वाले राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश **चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल**, और **तेलंगाना** हैं।
- वर्ष 22-2021 में, भारतीय संस्थानों में **विदेशी छात्रों की कुल संख्या लगभग 46,000** थी।

भारत में उच्च शिक्षा के अत्यधिक राजनीतिकरण के परिणाम :

भारत में उच्च शिक्षा के अत्यधिक राजनीतिकरण के परिणाम निम्नलिखित हुए हैं –

- **शैक्षणिक स्वतंत्रता में कमी :** राजनीतिक प्रभाव के कारण शैक्षणिक स्वतंत्रता पर असर पड़ा है, जिससे संकाय और छात्रों पर विशेष राजनीतिक विचारधारा को अपनाने का दबाव बढ़ा है।

- **वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षण संस्थानों की प्रतिष्ठा पर प्रभाव :** उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिकरण होने से भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की वैश्विक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है या हो सकती है, जिससे प्रतिभाशाली छात्र और शिक्षक इन संस्थानों से दूर हो सकते हैं।
- **विचारों की विविधता में कमी :** भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक एजेंडा के चलते अकादमिक चर्चाओं में विविधता कम हो गई है, जिससे खुली बहस और वैकल्पिक दृष्टिकोणों की खोज में बाधा आई है।
- **छात्र का शोध के प्रति सक्रियता का कम होना :** उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिकरण के बढ़ने से छात्र सक्रियता में वृद्धि हुई है, जो कभी-कभी शैक्षणिक जीवन को बाधित कर शोध के प्रति छात्रों की सक्रियता का कम कर सकती है।
- **शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक विश्वास का ह्रास :** भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक प्रपंचों का विश्वविद्यालयों के स्तर पर इस्तेमाल से शैक्षिक शोध की निष्पक्षता और मूल्य में जनता का विश्वास निरंतर कम हुआ है।
- **शोध के होने वाले वित्तपोषण में कमी होना :** भारत में उच्च शिक्षा में राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक एजेंडा को चलने या बढ़ाने के कारण दीर्घकालिक शोध परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण में कमी आई है, जिससे नवाचार और वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने की भारत के छात्रों की क्षमता भी प्रभावित हुई है।
- **रोजगार प्राप्ति में कमी होना :** भारत में उच्च शिक्षा के अति-राजनीतिक शिक्षा ने स्नातकों को आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान और अनुकूलनशीलता जैसे महत्वपूर्ण कौशलों के विकास में बाधा पहुंचाई है, जिससे उनकी रोजगार सृजन करने और रोजगार प्राप्त करने की क्षमता भी प्रभावित हुई है।

राजनीति का भारतीय उच्च शिक्षा पर प्रभाव :

- **राजनीतिक प्रेरणा :** भारतीय उच्च शिक्षा के संस्थान अक्सर राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित होते हैं, जहाँ राजनेता अपने राजनीतिक करियर को बढ़ाने के लिए कॉलेजों की स्थापना करते रहे हैं।
- **मतदाता आधारित निर्माण :** सामाजिक-सांस्कृतिक मांगों के अनुरूप कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई है, जो भारतीय समाज की विविधता को प्रतिबिंबित करते हैं।
- **स्थानीयकरण :** शैक्षणिक संस्थानों को राजनीतिक रूप से लाभकारी स्थानों पर स्थापित किया गया है, जो अक्सर सामाजिक-सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करते हैं।
- **नामकरण और पुनर्नामकरण :** भारत में विश्वविद्यालयों के नामकरण और पुनर्नामकरण अक्सर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं, जैसे कि UPTU, लखनऊ का नाम परिवर्तन करना।
- **नियुक्तियाँ और पदोन्नतियाँ :** भारत के विश्वविद्यालयों में होनेवाली शैक्षणिक नियुक्तियाँ और पदोन्नतियाँ कभी-कभी योग्यता के बजाय राजनीतिक विचारों से प्रभावित होने के कारण ही होती हैं।
- **शैक्षणिक स्वतंत्रता प्रदान करना :** भारत के विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में खासकर सामाजिक विज्ञान और मानविकी के विषयों में अक्सर शैक्षणिक स्वतंत्रता के मानदंडों का सख्ती से पालन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जहां सेल्फ-सेंसरशिप प्रचलित है और अक्सर वहां विवादास्पद सामग्री के प्रकाशन से हानिकारक परिणाम हो सकते हैं।

वर्तमान समय में भारत में उच्च शिक्षा के लिए नियामक ढाँचा :

भारत में उच्च शिक्षा के लिए नियामक ढाँचा विभिन्न वैधानिक निकायों द्वारा संचालित होता है, जिनका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों को सुनिश्चित करना है। इसके मुख्य निकायों में निम्नलिखित संस्था शामिल हैं –

- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) :** सन 1956 में स्थापित, यह निकाय विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों को समन्वयित और बनाए रखने के साथ-साथ अनुदान जारी करने का कार्य करता है। इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय बंगलूरू, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में हैं।
- **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) :** सन 1945 में स्थापित, यह निकाय तकनीकी शिक्षा के मानदंड और मानक निर्धारित करता है तथा यह भारत में नए संस्थानों और पाठ्यक्रमों को अनुमोदित करता है, और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। वर्ष 1987 में इसे वैधानिक दर्ज़ा प्रदान किया गया है। यह नए तकनीकी संस्थानों, पाठ्यक्रमों और प्रवेश क्षमता को अनुमोदित करता है तथा डिप्लोमा स्तर के संस्थानों के लिये राज्य सरकारों को कुछ विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करता है।

- **AICTE का मुख्यालय** नई दिल्ली में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल, बंगलूरू और हैदराबाद में हैं।
- **वास्तुकला परिषद (COA) :** सन 1972 में वास्तुविद् अधिनियम के तहत स्थापित, यह निकाय वास्तुकला शिक्षा और व्यवसाय के मानकों को नियंत्रित करता है।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** के अनुसार, चिकित्सा और विधिक शिक्षा को छोड़कर, सभी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए एक एकल व्यापक निकाय के रूप में **भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI)** की स्थापना को प्रस्तावित किया गया है।
- **भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI)** में चार स्वतंत्र कार्यक्षेत्र शामिल हैं। जिनमें विनियमन के लिए **NHERC**, मानक निर्धारण के लिए **GEC**, वित्तपोषण के लिए **HEGC**, और मान्यता प्रदान करने के लिए **NAC** जैसी स्वतंत्र संस्था की व्यवस्था है।
- **भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI)** भारत में प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप के माध्यम से कार्य करेगा और इसके द्वारा तय किए गए मानदंडों एवं मानकों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों को दंडित करने का इसे अधिकार प्राप्त है। सार्वजनिक और निजी, दोनों प्रकार के उच्च शिक्षण संस्थान समान विनियमन, मान्यता एवं शैक्षणिक मानकों के अधीन होंगे।

समाधान / आगे की राह :

भारत में उच्च शिक्षा की संस्थागत स्वायत्तता को मजबूत करने और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

- **संस्थागत स्वायत्तता को मजबूत करना :** भारत में उच्च शिक्षा की संस्थागत स्वायत्तता को मजबूत करने और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए तथा अनुचित प्रभावों का विरोध करने के लिए विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए, वित्तपोषण के विविध स्रोतों की तलाश करने और सरकारी निधियों पर निर्भरता कम करने के उपाय किए जा सकते हैं।
- **शैक्षिक स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करना :** भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक स्वतंत्रता को एक अटूट सिद्धांत के रूप में बनाए रखना और स्वतंत्र विचार-विमर्श तथा अनुसंधान को सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- **स्वायत्त विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना करना :** भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शोध गुणवत्ता को बढ़ावा देने और राजनीतिक प्रभाव से संवेदनशील विषयों की रक्षा के लिए स्वायत्त विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना की जा सकती है।
- **भारत में शिक्षण संस्थानों को स्वायत्त दर्जा प्राप्त करने का प्रयास करना :** उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों से तुलना करने के लिए भारत के प्रयासों के अनुरूप, संस्थानों को स्वायत्त दर्जा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
- **राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन करना :** शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में संस्थानों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए NKC और यशपाल समिति की सिफारिशों को लागू करना अनिवार्य होना चाहिए।
- **शासी निकायों का राजनीतिकरण कम करना :** शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर कुलपति और अन्य प्रमुख पदों के चयन के लिए एक स्वतंत्र चयन प्रक्रिया को अपनाना चाहिए।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों का पालन सुनिश्चित करना :** भारत के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में NEP 2020 में दी गई सिफारिशों के अनुसार, स्वतंत्र और पारदर्शी भर्ती, पाठ्यक्रम डिजाइन की स्वतंत्रता, और संकाय की प्रेरणा और क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना अत्यंत आवश्यक है।
- **असहमति और आलोचनात्मक जाँच की रक्षा के लिए स्पष्ट नीतियाँ और सुरक्षा उपाय लागू करना :** भारत में शोध, अनुसंधान और छात्रों द्वारा अपने विचार को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के संकाय के अधिकारों की रक्षा के लिए स्पष्ट नीतियाँ और सुरक्षा उपाय लागू करना अत्यंत आवश्यक है।
- **छात्र संघ की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना :** भारत के विश्वविद्यालयों में छात्र संघों को स्वायत्त निकाय के रूप में बनाए रखना और उनके चुनाव या कार्यप्रणाली में राजनीतिक दलों या प्राधिकारियों का हस्तक्षेप नहीं होने देना चाहिए।
- **सशक्त लोकपाल की स्थापना करना :** भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप, शैक्षणिक स्वतंत्रता के उल्लंघन, या किसी भी हितधारक से राजनीतिक रूप से प्रेरित उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच और समाधान के लिए एक स्वतंत्र लोकपाल तंत्र की स्थापना करना अत्यंत जरूरी है।
- **इन कदमों को उठाकर, भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम किया जा सकता है और शैक्षिक स्वतंत्रता और उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जा सकता है।**

स्रोत – द हिंदू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. भारत में शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस प्रावधान पर आधारित है? (UPSC – 2019)

1. भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची में।
2. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा।
3. भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में ।
4. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा।
5. भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

A. केवल 1, 2 और 5

B. 1, 2, 3, 4 और 5 सभी।

C. केवल 1, 3 और 4

D. केवल 1 , 3, 4 और 5

उत्तर- B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में उच्च शिक्षा के राजनीतिकरण को रेखांकित करते हुए इसके परिणामों का विश्लेषण तथा शैक्षणिक संस्थाओं की संस्थागत स्वायत्तता, अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के समाधानों पर तर्कसंगत चर्चा कीजिए। (UPSC CSE – 2017 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

निजता का मौलिक अधिकार बनाम भारत में डिजिटल बाज़ार

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 3 के ' विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ, सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर, डिजिटल बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा से जुड़ी चुनौतियाँ ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI), डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रतिस्पर्द्धा कानून, ऑनलाइन विज्ञापन, लक्षित – विज्ञापन, नियामक ढाँचा, व्यक्तिगत – डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' निजता का मौलिक अधिकार बनाम भारत में डिजिटल बाज़ार ' से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

- भारत में निजता का मौलिक अधिकार और डिजिटल बाजार के बीच की बहस हाल के समय में खबरों में इसलिए है क्योंकि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के अध्यक्ष ने हाल ही में अपने 15वें वार्षिक उत्सव में डिजिटल बाजारों की गतिशीलता पर प्रकाश डाला है।
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे डिजिटल बाजारों में संकेंद्रण और एकाधिकार की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, जो भारत में व्यक्ति के निजता के मौलिक अधिकारों को चुनौती दे सकती हैं?
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा आयोजित अपने 15वें वार्षिक उत्सव में इस विषय के संदर्भ में यह चिंता भी व्यक्त की गई है कि बढ़ते डिजिटल बाजारों का प्रभाव और डेटा संग्रहण की विधियां उपभोक्ताओं की निजता के अधिकारों को किस प्रकार से प्रभावित कर सकती हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के 15वें वार्षिक उत्सव के प्रमुख निष्कर्ष :

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के 15वें वार्षिक उत्सव के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं, जिसके तहत CCI ने डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है।

- **डिजिटल प्लेटफॉर्मों का नियंत्रण :** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के अनुसार बड़े डेटासेट पर डिजिटल प्लेटफॉर्मों का नियंत्रण नए अभिकर्त्ताओं के प्रवेश में बाधाएँ उत्पन्न कर सकता है, प्लेटफॉर्म तटस्थता से समझौता कर सकता है और एल्गोरिदम संबंधी साँठ-गाँठ को जन्म दे सकता है।
- **ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर एकाधिकार :** भारत के वर्तमान महान्यायवादी ने भी यह उल्लेख किया है कि उपयोगकर्त्ता डेटा पर ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों का एकाधिकार "जाँच का विषय हो सकता है" और मुक्त बाज़ार तथा सामाजिक लाभ के बीच संतुलन बनाने के लिये नए विचारों की आवश्यकता है, जिसके लिये कानूनी नवाचार ज़रूरी है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था के अवसर और चुनौतियाँ :** भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था नवाचार, विकास और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए कई अवसर प्रदान करती है, लेकिन इसने विश्व भर में पारंपरिक प्रतिस्पर्द्धा कानूनी ढाँचे को चुनौती दी है।
- **व्यवहारिक अर्थशास्त्र का महत्व :** भारत के डिजिटल बाज़ारों के संदर्भ में मानवीय प्राथमिकताओं को समझने के लिए व्यवहारिक अर्थशास्त्र जैसे उपकरणों के महत्त्व पर भी प्रकाश डाला गया है।

डिजिटल बाज़ार क्या होता है ?

- **डिजिटल बाज़ार** जिसे ऑनलाइन बाज़ार भी कहते हैं, एक ऐसा वाणिज्यिक क्षेत्र है जहां व्यापारी और ग्राहक डिजिटल माध्यमों के जरिए संपर्क में आते हैं। **डिजिटल बाज़ार के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं –**
- **ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस :** ये वे ऑनलाइन मंच हैं जहां विक्रेता अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेचते हैं, जैसे कि अमेज़न और ईबे।
- **डिजिटल विज्ञापन :** इसमें वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, और सर्च इंजनों पर दिखाई देने वाले ऑनलाइन विज्ञापन शामिल हैं। गूगल द्वारा किया जाने वाला विज्ञापन और फेसबुक पर किया जाने वाला विज्ञापन इस क्षेत्र मेंअग्रणी हैं।
- **सोशल मीडिया मार्केटिंग :** व्यापारी फेसबुक, इंस्टाग्राम, या ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके संभावित ग्राहकों से जुड़ते हैं, ब्रांड जागरूकता बढ़ाते हैं, और उत्पादों या सेवाओं का प्रचार करते हैं।

- **सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन (SEO) :** यह वेबसाइट की सामग्री और संरचना को सर्च इंजन परिणाम पृष्ठों (SERP) में उच्च रैंकिंग के लिए अनुकूलित करने की प्रक्रिया है, जिससे ऑर्गेनिक ट्रैफिक में वृद्धि होती है।
- **बाजार में एकाधिकारवादी प्रवृत्ति का उदय :** भारत में डिजिटल बाज़ारों में एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों के उदय में अपरिवर्तनीय लागत, उच्च स्थिर लागत, और मजबूत नेटवर्क प्रभाव, जिसके कारण बाज़ार में कुछ ही कंपनियों का वर्चस्व होता है।

भारत के डिजिटल बाज़ारों में आपसी प्रतिस्पर्धा से जुड़ी चुनौतियाँ :

भारत के डिजिटल बाज़ारों में आपसी प्रतिस्पर्धा चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं –

- **बाज़ार का प्रभुत्व और प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी आचरण :** बाज़ार के कुछ प्रमुख खिलाड़ी बाजार के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करते हैं, जिससे नवाचार को बाधा पहुँचती है और उपभोक्ताओं के विकल्प सीमित होते हैं। **बाजार पर इस प्रकार का एकतरफा प्रभुत्व निम्नलिखित प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी आचरण को जन्म दे सकता है।**
- **स्व-प्राथमिकता को महत्व देना :** जब कोई प्लेटफॉर्म अपने खोज परिणामों या प्रचारों में अपने उत्पादों या सेवाओं को प्रतिस्पर्द्धियों के मुकाबले अधिक महत्व देता है। उदाहरण के लिए – गूगल अपने शॉपिंग परिणामों को अन्य प्लेटफॉर्मों की तुलना में अधिक प्राथमिकता देता है।
- **उपयोगकर्त्ता को विवश करना :** जब उपयोगकर्त्ताओं को उनकी इच्छित उत्पादों या सेवाओं के साथ अनचाहे उत्पाद या सेवाएँ खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। उदाहरण के लिए – आईफोन के साथ अन्य एप्पल उत्पादों का संयोजन उपयोगकर्त्ताओं को एप्पल के पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े रहने के लिए विवश करता है।
- **विशेष समझौतों में बाँधा जाना :** जब आपूर्तिकर्त्ताओं या वितरकों को विशेष समझौतों में बाँधा जाता है, जिससे प्रतिस्पर्द्धा में बाधा आती है। उदाहरण के लिए हॉटस्टार और जियो सिनेमा जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म शो के विशेष अधिकार सुरक्षित करते हैं, जिससे दर्शकों के विकल्प सीमित होते हैं।
- **नेटवर्क प्रभाव और विजेता-सब-कुछ-ले-जाए गतिशीलता :** जब एक प्लेटफॉर्म का मूल्य उससे जुड़ने वाले अधिक उपयोगकर्त्ताओं के साथ बढ़ता है, तो एक स्नोबॉल प्रभाव उत्पन्न होता है, जो नए प्रवेशकों के लिए प्रतिस्पर्द्धा करना कठिन बना देता है। उदाहरण के लिए – व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अधिक उपयोगकर्त्ताओं के साथ मूल्यवान हो जाते हैं। इससे उच्च स्विचिंग लागत और नवप्रवर्तन में कमी जैसे परिणाम हो सकते हैं।

भारत में डेटा लाभ से संबंधित बनाम व्यक्ति की निजता से संबंधित चिंताएँ:

डिजिटल बाजारों में उपयोगकर्ता डेटा का संग्रहण और उपयोग व्यक्तिगत निजता और प्रतिस्पर्धा के मुद्दों को जन्म देता है। **अतः भारत में डेटा लाभ से संबंधित बनाम व्यक्ति की निजता से संबंधित चिंताएँ निम्नलिखित है –**

- **उपभोक्ता गोपनीयता के मुद्दे :** डिजिटल कंपनियां जिस तरह से उपयोगकर्ता का डेटा इकट्ठा करती हैं, उसकी प्रक्रिया अक्सर अस्पष्ट होती है, जिससे उपभोक्ताओं की निजता के हनन का खतरा बढ़ जाता है।
- **अवसरों में असमानता :** भारत में डेटा लाभ से संबंधित बनाम व्यक्ति की निजता से संबंधित चिंताओं में बाजार में नए आने वाले उद्यमियों के लिए उन प्रतिस्पर्धियों के साथ मुकाबला करना कठिन होता है जिनके पास पहले से ही डेटा का विशाल संग्रह होता है, जो उन्हें अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है।
- **विनियामक चुनौतियाँ :** भारत के डिजिटल बाजारों की गतिशीलता के कारण, मौजूदा नियमों को अप्रचलित बना दिया जाता है, जिससे विनियामकों को इसे परिभाषित और संबोधित करने में कठिनाई होती है।
- **अविश्वास संबंधी मुद्दे :** भारत में डिजिटल इकोसिस्टम की जटिलता के कारण, प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी व्यवहार की पहचान और साबित करना मुश्किल होता है, और एक प्रमुख फर्म की पहचान करना भी एक चुनौती है।

समाधान / आगे की राह :

भारत में डिजिटल बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा की निगरानी के लिए संभावित समाधान निम्नलिखित हैं –

- **प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण डिजिटल मध्यस्थों (SIDIs) की पहचान करना :** भारत में व्यक्ति की निजता के संबंध में ऐसे मध्यस्थों की पहचान करना जिनके पास महत्त्वपूर्ण बाज़ार शक्ति हो, और उन्हें सख्त नियमों के अधीन करना होगा।
- **प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं का निषेध :** भारत में व्यक्ति की निजता के संबंध में प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं का निषेध करना तथा स्व-वरीयता और अनन्य व्यवहार जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना जो प्रतिस्पर्द्धा को बाधित करते हैं। **उदाहरण:** कोई प्लेटफॉर्म अपने उत्पादों को खोज परिणामों में प्रतिस्पर्द्धियों की तुलना में प्राथमिकता नहीं दे सकता।
- **डेटा साझाकरण और अंतरसंचालनीयता :** भारत में नागरिकों के निजता के संबंध में उपयोगकर्ताओं को डेटा या सेवाओं को प्लेटफॉर्मों के बीच स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिए डेटा साझाकरण और प्लेटफॉर्म अंतरसंचालनीयता को अनिवार्य करना होगा। **उदाहरण:** उपयोगकर्ताओं को अपने ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर स्थानांतरित करने की अनुमति देना।
- **भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) को सुदृढ़ बनाना :** CCI को डिजिटल बाज़ारों की प्रभावी निगरानी करने और प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं की जाँच करने के लिए अतिरिक्त शक्तियाँ, संसाधन और कार्मिक प्रदान करना होगा। **उदाहरण:** 53वीं संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट ने CCI को मज़बूत करने की अनुशंसा की।
- **डेटा संरक्षण के साथ नवाचार को बढ़ावा देना :** विनियामकीय सैंडबॉक्स के माध्यम से स्टार्टअप्स के लिए नवीन उत्पादों और सेवाओं का परीक्षण करने के लिए एक नियंत्रित वातावरण स्थापित

करना। **उदाहरण:** व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को उनके व्यक्तिगत डेटा पर अधिक नियंत्रण प्रदान करना है।

- डिजिटल बाज़ार व्यवसायों और उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए एक गतिशील स्थान प्रदान करते हैं, लेकिन वे अद्वितीय चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करते हैं। एकाधिकार की संभावना, डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएँ, और नवाचार की कमी के कारण सक्रिय समाधान की आवश्यकता होती है। वैश्विक दुनिया के बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ, भारत के लिए स्टार्टअप्स के लिए उपयुक्त परिस्थितियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाना तो अनिवार्य है ही किन्तु इसके ही साथ – साथ भारत के व्यक्तियों की निजता के मौलिक अधिकार को भी संरक्षित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. व्यक्ति के निजता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित एक मौलिक अधिकार है ? (UPSC – 2021)

A. अनुच्छेद 21

B. अनुच्छेद 19

C. अनुच्छेद 29

D. अनुच्छेद 15

उत्तर – A

Q. 2. भारत के संविधान में निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है? (UPSC – 2018)

A. अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ।

B. अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध।

C. अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध।

D. अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दिये राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व।

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में डिज़िटल बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा से जुड़ी चुनौतियों और उसके समाधान के तरीके को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में निजता के मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय किस प्रकार प्रभावित करते हैं ? (UPSC CSE – 2019 शब्द सीमा – 250 अंक -15)

धर्म के आधार पर आरक्षण बनाम कोलकाता उच्च न्यायालय का आरक्षण को रद्द करने का फैसला

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 – के ‘ भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, धर्म के आधार पर आरक्षण, सार्वजनिक रोज़गार और संबंधित निर्णयों में आरक्षण ’ खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ आरक्षण, इंद्रा साहनी निर्णय, अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(4A), अनुच्छेद 16(4B), अनुच्छेद 15(4) ’ खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ‘ दैनिक करंट अफेयर्स ’ के अंतर्गत ‘ धर्म के आधार पर आरक्षण बनाम कोलकाता उच्च न्यायालय का आरक्षण को रद्द करने का फैसला ’ से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत मुसलमानों सहित कई समुदायों को प्रदान किए गए आरक्षण को रद्द कर दिया है।
- यह निर्णय 2012 के अधिनियम के तहत दिए गए आरक्षण को अवैध ठहराता है, जिसमें 77 समुदायों को ओबीसी की सूची में शामिल किया गया था1।
- न्यायालय ने पाया कि आरक्षण प्रदान करने के लिए धर्म को “एकमात्र” आधार बनाया गया था, जो कि संविधान के अनुच्छेद 16 और पूर्व में न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के तहत निषिद्ध है।
- इसके अलावा, न्यायालय ने इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यह स्थापित किया गया था कि आरक्षण के लिए ओबीसी श्रेणियों की पहचान धार्मिक संबद्धता के आधार पर नहीं हो सकती है।
- इस निर्णय का परिणाम यह है कि 2010 के बाद जिन व्यक्तियों को ओबीसी के तहत सूचीबद्ध किया गया था, उनके प्रमाणपत्र अब मान्य नहीं होंगे।
- 2010 से पहले ओबीसी के तौर पर वर्गीकृत व्यक्तियों के प्रमाणपत्र मान्य रहेंगे। इस निर्णय से राज्य में लगभग पांच लाख व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ने का अनुमान है।

भारत के अन्य राज्यों में धर्म-आधारित आरक्षण की वर्तमान स्थिति :

भारत में विभिन्न राज्यों द्वारा धर्म-आधारित आरक्षण की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है –

- **केरल :** यह राज्य अपने %30 ओबीसी कोटे में से %8 मुस्लिम

समुदाय के लिए आरक्षित करता है।

- **तमिलनाडु और बिहार :** इन राज्यों में ओबीसी कोटे के अंतर्गत मुस्लिम जाति समूहों को भी स्थान दिया जाता है।
- **कर्नाटक :** यहाँ %32 ओबीसी कोटे में से मुसलमानों के लिए %4 उप-कोटा निर्धारित है।
- **आंध्र प्रदेश :** इस राज्य में पिछड़े मुस्लिम समुदाय के लिए %5 आरक्षण कोटा प्रदान किया जाता है।

भारत में आरक्षण से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधान :

संविधान के अनुसार आरक्षण के प्रावधान :

- **अनुच्छेद 4)16) :** यह अनुच्छेद राज्यों को यह अधिकार देता है कि वे "पिछड़े वर्ग के नागरिकों" के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकें। इसके तहत, राज्य यह तय कर सकते हैं कि कौन से समुदाय पिछड़े वर्ग में आते हैं।
- **अनुच्छेद 15 :** शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण के लिए, किसी समूह को अपने सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 4)16) के अंतर्गत, समूह के पिछड़ेपन और उनके सार्वजनिक रोजगार में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का भी आकलन किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय :

- **चंपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य (1951) :** इस मामले में शैक्षिक संस्थानों में जाति के आधार पर आरक्षण को अस्वीकार किया गया, जिससे संविधान के प्रथम संशोधन की दिशा निर्धारित हुई।
- **इंद्रा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ (1992) :** इस निर्णय में आरक्षण की सीमाओं को परिभाषित किया गया, जिसमें क्रीमी लेयर का बहिष्कार, %50 कोटा सीमा, और पदोन्नति में आरक्षण नहीं (एससी/एसटी को छोड़कर) शामिल हैं।
- **एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) :** इस मामले में अनुच्छेद 4)16A) को बरकरार रखा गया, जो एससी/एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देता है, और इसके लिए तीन शर्तें स्थापित की गईं: सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, और दक्षता को बनाए रखना।
- **जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) :** इस निर्णय में SC और ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति दी गई, और राज्य को इसके लिए मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।
- **जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) :** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा, जो EWS के लिए सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में %10 आरक्षण प्रदान करता है।

भारत में धर्म – आधारित आरक्षण के पक्ष में तर्क :

भारत में धर्म-आधारित आरक्षण के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले तर्क इस प्रकार हैं –

- **सामाजिक-आर्थिक विषमता :** सच्चर समिति की रिपोर्ट बताती है कि भारत में मुस्लिम समुदाय शिक्षा, रोजगार, और आर्थिक स्थिति के मामले में अन्य समुदायों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। आरक्षण इन क्षेत्रों में असमानताओं को कम करने का एक माध्यम हो सकता है।
- **संविधान की भावना और संवैधानिक आदेश :** भारतीय संविधान सभी धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के बीच समानता और सामाजिक न्याय की भावना को बढ़ावा देता है, और इसमें सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक कदम उठाने का प्रावधान है। भारतीय संविधान धार्मिक और सांस्कृतिक संप्रदाय के बावजूद, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है।
- **प्रतिनिधित्व की गारंटी :** आरक्षण से उन धार्मिक समूहों को रोजगार, शिक्षा, और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व मिल सकता है, जिनका अभी तक पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना :** भारत में आरक्षण रोजगार, शिक्षा, और अन्य क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व वाले धार्मिक समूहों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकता है।

भारत में धर्म-आधारित आरक्षण के विरुद्ध दिए जाने वाला तर्क :

भारत में धर्म-आधारित आरक्षण के विरुद्ध में प्रस्तुत किए जाने वाले तर्क इस प्रकार हैं –

- **संविधान की मूल भावना के विपरीत :** भारतीय संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता में बसती है, जो सभी धर्मों के प्रति राज्य की निष्पक्षता की बात करती है। धर्म के आधार पर आरक्षण से इस निष्पक्षता को चुनौती मिलती है। अतः धर्म के आधार पर दिए जाने वाला आरक्षण भारत के संविधान के इस आदर्श के खिलाफ है।
- **सामाजिक समरसता में बाधा और राष्ट्रीय सौहार्द्र को खतरा :** भारत में धर्म-आधारित आरक्षण से विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन और असमानता बढ़ सकती है, जिससे राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव पड़ सकता है और इससे जिससे राष्ट्रीय एकता और सद्भावना प्रभावित हो सकती है।
- **आर्थिक न्याय की दिशा में कदम :** आरक्षण को आर्थिक स्थिति के

आधार पर दिया जाना चाहिए, ताकि वास्तविक आर्थिक जरूरतमंदों को सहायता मिल सके, उनके धर्म की परवाह किए बिना।

- **प्रशासनिक दुविधाएँ एवं संघर्ष :** भारत में धर्म के आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण के कार्यान्वयन से प्रशासनिक जटिलताएँ और दुरुपयोग की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं, जिससे इस प्रणाली की कार्यक्षमता पर प्रश्न उठ सकते हैं। इन तर्कों का उद्देश्य धर्म-आधारित आरक्षण के विषय पर एक विचारशील चर्चा को प्रोत्साहित करना है। यह एक जटिल मुद्दा है जिसमें विभिन्न विचारधाराएँ और मान्यताएँ शामिल होती हैं।

समाधान / आगे की राह :

भारत में धर्म-आधारित आरक्षण के मुद्दे के संबंध में समाधान या आगे की राह निम्नलिखित है –

- **सामाजिक-आर्थिक आधार पर आरक्षण :** आरक्षण को धर्म की जगह सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार तय किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि सहायता समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचे, भले ही उनका धर्म कोई भी हो या चाहे उनका धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों न हो।
- **शिक्षा के जरिए सशक्तिकरण :** शैक्षिक संस्थानों को मजबूत करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के माध्यम से पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाना, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
- **समावेशी नीतियों को अपनाना :** धर्म के आधार पर आरक्षण के बिना, शिक्षा, रोजगार, और स्वास्थ्य सेवाओं में समावेशी नीतियों को अपनाना, जो पिछड़े धार्मिक समुदायों की विशेष जरूरतों को पूरा करें।
- **सभी समुदायों के साथ संवाद करना और सर्वसम्मति बनाना :** सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के समाधान के लिए सभी समुदायों के साथ संवाद करना और सर्वसम्मति बनाना, साथ ही सुनिश्चित करना कि किसी भी उपाय को संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप लागू किया जाए।
- इन विचारों के माध्यम से भारत में आरक्षण के मुद्दे पर एक न्यायसंगत और समानता आधारित दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने का प्रयास किया जा सकता है, जो सभी समुदायों के लिए न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में काम करता है।

स्त्रोत – इंडियन एक्सप्रेस एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में विभिन्न राज्यों द्वारा दिए जाने वाला धर्म – आधारित आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. केरल में %30 ओबीसी कोटे में से %8 मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित है।
2. कर्नाटक में %32 ओबीसी कोटे में मुसलमानों के लिए %4 उप-कोटा निर्धारित है।
3. बिहार में मुस्लिम जाति समूहों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है।
4. सच्चर समिति की रिपोर्ट भारत में मुस्लिम समुदाय के शिक्षा, रोजगार और आर्थिक पिछड़ेपन से संबंधित है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. इनमें से सभी ।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में धर्म के आधार पर प्रदान किए जाने वाले आरक्षण की संवैधानिक वैधता एवं इससे सामाजिक और राजनीतिक रूप से पड़ने वाले प्रभावों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि यह भारत में धर्मनिरपेक्षता, समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को किस तरह प्रभावित करता है? (UPSC CSE – 2021 शब्द सीमा – 250 अंक – 10)